जबरन बेदखली की स्थिति में क्या करें ?

मध्य प्रदेश के लिये पुस्तिका

आवास और भूमि अधिकार संगठन
(हाउसिंग एंड लैंड राईट्स नेटवर्क)
नई दिल्ली

दिन बन्धु समाज सहयोग
(अरबन पॉवर्टी एंड हाउसिंग राईट्स)
इन्दौर (म.प्र.)

विषय–सूचि

1. परिचय	4
2. उपयुक्त आवास के लिए मानवाधिकार का क्या तात्पर्य है?	8
3. जबरन बेदखली क्या है?	11
4. जबरन बेदखली के दौरान कौन से मानवधिकार प्रभावित होते हैं?	14
5. जबरन बेदखली की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत आपके क्या अधिकार हैं?	16
6. जबरन बेदखली की स्थिति में भारतीय कानून के तहत आपके क्या अधिकार हैं?	19
1. भारत का संविधान	
2. राष्ट्रीय नीतियां	
3. अदालती फैसले	
7. जबरन बेदखली की स्थिति में मध्यप्रदेश कानून के तहत आपके क्या अधिकार है ?	26
1. इन्दौर का मास्टर प्लान 2021	
2. पंजिकृत कॉलोनियों में कमजोर वर्गो के लिये आरक्षित 15 प्रतिशत भूमि का प्रावधान	
3. म.प्र. पट्टा कानून	
8. बेदखली के मामले में अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देश व मानक क्या हैं, जिनका अनुपालन आवश्यक है?	30
1. बेदखली से पूर्व	
2. बेदखली के दौरान	
3. बेदखली के बाद	
4. बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश	

विषय–सूचि

5. महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश

9. जबरन बेदखली की स्थिति में आपके लिए कौन से समाधान उपलब्ध हैं? 36
1. उचित एवं त्वरित मुआवजा
2. मुआवजा एवं बहाली
3. पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन

10. जबरन बेदखली को रुकवाने/विरोध अथवा न्याय पाने के लिए उठाये जा सकने वाले कदम 39
1. याचिका/ जनहित वाद (पीआईएल) दायर करना
2. मानवाधिकारों के उल्लंघन एवं बेदखली के दस्तावेज
3. बेदखली व पुनर्वास से संबंधित सूचना के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) अपील दायर करना
4. बेदखली असर आकलन
5. तथ्य खोज अभियान (फैक्ट फाइंडिंग)
6. सांसदों/विधायकों पर दबाव डालना
7. सविनय अवज्ञा कार्यक्रम आयोजित करना
8. पत्र लेखन/पोस्ट कार्ड/ पोस्टर अभियान

11. जबरन बेदखली के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर आप किससे संपर्क कर सकतें है ? 46
1. उपयुक्त जिम्मेदार सरकारी अधिकारी
2. मानवाधिकार संस्थाएं
3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
4. मीडिया
5. उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष प्रतिवेदक

12. निष्कर्ष 53

1

परिचय

''संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या रिर्पोट के अनुसार वर्ष 2011 के मध्य तक भारत की शहरी मलिन बस्तियों की आबादी 15.8 करोड़ आंकी गयी है। बड़े महानगरों में अधिसंख्य आबादी मलिन बस्तियों एवं अस्थाई घरों में रहती है।''

पिछला दशक विश्व भर में जबरन बेदखली में हुई बेतहाशा वृद्धि का गवाह रहा है। इसके पीछे अनेक कारण हैं, जिनमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विशाल आधारभूत संरचनाएं और विकास की बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं जिनका बांध निर्माण, खानों एवं बंदरगाहों के निर्माण, शहरों के नवनिर्माण व विस्तार, नगर सौंदर्यीकरण, खेल एवं अन्य बड़ी परियोजनाओं तथा औद्योगिक विकास से सीधा संबंध है। इन तमाम बड़ी परियोजनाओं को लागू करने के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त की जा रही है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा पर्यावरण के संरक्षण की योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिनकी वजह से आम लोगों तथा विभिन्न समुदायों को उनके घरों एवं पर्यावासों से जबरन बेदखल किया जा रहा है। समुचित पुनर्स्थापन के अभाव में लोगों के सामने आवास का संकट गहरा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर कष्टपूर्ण पलायन बढ़ गया है और परिणामस्वरुप उनकी पारंपरिक आजीविका को नुकसान पहुंचा है।

आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) तथा कम आय वाले समूहों (एलआईजी) के लिए कम लागत एवं सस्ते आवास की सरकारी योजनाओं के अभाव की वजह से दसवीं पंचवर्षीय योजना के आखिर में राष्ट्रीय शहरी आवास के तहत 2.47 करोड़ आवासीय इकाइयों की कमी थी, जबकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-2012) में 2.7 करोड़[1] आवासीय इकाइयों की कमी का अनुमान है, जिनमें 99 फीसदी कमी आर्थिक रुप से कमजोर वर्गो तथा कम आय वाले समूहों से संबंधित है। पंचवर्षीय योजना(2007-2012) के लिए कुल 4.7 करोड़ ग्रामीण आवासों की कमी का आकलन किया गया, जिनमें 90 फीसदी संख्या गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों[2] की बतायी गयी थी।

1. शहरी आवास पर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (कार्यशील समूह) की रिपोर्ट, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार
2. ग्रामीण आवास पर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (कार्यशील समूह) की रिपोर्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 के मध्य तक भारत की शहरी मलिन बस्तियों की आबादी 15.84 करोड़[3] आंकी गयी है। बड़े महानगरों में अधिसंख्य आबादी मलिन बस्तियों एवं अस्थाई घरों में रहती है।

उक्त रिपोर्ट देश में आवासीय कमी की नाजुक स्थिति को दर्शाती है। देश की ज्यादातर आबादी दयनीय व अपर्याप्त हालातों में कम सुविधा वाले घरों एवं मलिन बस्तियों में रहने को विवश है। नागरिक संस्थाओं व सरकार दोनों के अनुमान के अनुसार मुम्बई महानगर की लगभग 60 प्रतिशत तथा दिल्ली की लगभग 50 प्रतिशत आबादी मलिन व अस्थाई बस्तियों में निवास करती है। उक्त दोनों महानगरों की जो आबादी कम सुविधायुक्त आवासों में रह रही है, यदि उसे भी इन आंकड़ो में शामिल कर लिया जाये तो यह संख्या और अधिक बढ़ जायेगी। ये स्थितियां यही दर्शाती हैं कि देश की शहरी आबादी के एक बड़े हिस्से के पास उपयुक्त आवास और मूलभूत सुविधाओं की अत्यन्त कमी है या फिर इन सुविधाओं तक उनकी कोई पहुंच नहीं है।

मलिन बस्तियों की भूमि उपयोग की अनिश्चितता के कारण और दूसरी तरफ मलिन बस्तियों से मुक्त विश्व-स्तरीय शहरों की संरचना के लिए लगातार गढ़े जा रहे विकास के मॉडल के कारण अक्सर उन लोगों, जो मलिन बस्तियों एवं अस्थाई भूमि में रह रहे हैं, के मन में जबरन बेदखली और अपने घरों के ढहाये जाने का भय सताता रहता है।

उचित लागत के आवासों की कमी, मूलभूत सेवाओं की कमी तथा भूमि उपयोग की समय सीमा पर कानूनी सुरक्षा की कमी -ये भारत में आवास से संबंधित नाजुक मुद्‌दे हैं। राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2007 में भी यह स्वीकार किया गया है कि 'मलिन बस्तियों में आवासीय संरचना का स्तर अत्यधिक दयनीय है। भूमि उपयोग अवधि की कानूनी असुरक्षा इसका एक महत्वपूर्ण कारण है।'[4]

3. आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एमएचयूपीए), मलिन बस्ती आंकड़े/जनगणना पर कमेटी की रिपोर्ट, राष्ट्रीय निर्माण संगठन, 2010

4. राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2007, पैरा 1.15

नगरीय अधिकार

'नगरीय अधिकार' के लिए आंदोलन नगरों में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और विशेषकर अत्यधिक उपेक्षित और वंचित वर्गों के लिए बेहतर पहुंच एवं अवसर सुनिश्चित कराने के लिए सामाजिक समूहों और नागरिक संस्थाओं जैसे संगठनों के रचनात्मक प्रयासों के फलस्वरुप आगे बढ़ा। विश्व भर में हुए सामाजिक आंदोलन एवं संगठनों ने नगरीय अधिकारों पर एक वैश्विक दस्तावेज विकसित करने के लिए सामूहिक रुप से कार्य किया, जिसे यूएनईएससीओ (यूनाइटेड नेशंस एजूकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गनाइजेशन) और अन्य अनेक संस्थाओं के साथ ही यूएन (संयुक्त राष्ट्र) का भी समर्थन प्राप्त हुआ। दस्तावेज में जीवन निर्वाह के आधारभूत सिद्धांत, लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय के बीच नगरों के एक समान उपयोगाधिकार को 'नगरीय अधिकार' के रुप में परिभाषित किया गया है। यह शहर के लोगों और खासतौर से नगरों असहाय तथा उपेक्षित समूहों का एक सामूहिक अधिकार है जो उन्हें ऐसे कार्य और संगठन की वैधता प्रदान करता है जो उनके प्रचलित रीति-रिवाजों के साथ ही स्वतंत्र दृढ़ आत्मनिर्णय संबंधी अधिकारों के पूर्ण उपयोग और एक यथोचित आवासीय स्तर प्राप्ति के उद्देश्य पर आधारित हो।

इस प्रकार 'नगरीय अधिकार' नगर विशेष के सभी निवासियों का नगर द्वारा प्रदत्त सभी अवसरों/लाभों में समान हिस्सेदारी के अधिकार के साथ-साथ नगरीय योजना एवं विकास संरचना में समान रुप से भागीदारी का अधिकार है।

'नगरीय अधिकार' का यह वैश्विक आंदोलन विभिन्न नगरों के नगर प्रमुखों तक भी पहुंचा है ताकि वे अपने-अपने नगरों में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इस वैश्विक दस्तावेज को स्वीकार करें। भारत सरकार को भी 'नगरीय अधिकार' को मान्यता एवं प्रोत्साहन देने की दिशा में कार्य करना चाहिए तथा अपने सिद्धांतों को सभी स्थानीय नगरों की विकास परियोजनाओं में शामिल करना चाहिए।

2

उपयुक्त आवास के लिये मानवाधिकार का क्या तात्पर्य है ?

विश्व की अधिकांश आबादी अलग-अलग आकार-प्रकार के घरों में निवास करती है। विश्व जनसंख्या की लगभग आधी आबादी को उपयुक्त आवास के लिए निर्धारित आवश्यक मानकों के अनुरुप आवासीय सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून तथा इसकी घोषणा में यह भली-भांति सुनिश्चित किया गया है कि आवास मात्र एक छत और चार दीवारों का एक भौतिक ढांचा भर नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक परिकल्पना है, जिसमें अनेक तत्वों और अन्य चीजों का पूर्ण समावेश होता है, जो एक सुरक्षित और पक्के आवास स्थल के लिए जरुरी है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त आवास महज एक स्वैच्छिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह सभी मनुष्यों का एक मौलिक अधिकार है। वर्ष 1948 में मानवाधिकारों के वैश्विक घोषणा पत्र द्वारा यह सुनिश्चित किया जा चुका है, जो उपयुक्त आवास के अधिकार को जीने के उपयुक्त स्तर के लिए एक अभिन्न घटक के रुप में मान्यता देता है।

मानवाधिकारों पर वैश्विक घोषणा पत्र (यूडीएचआर) का अनुच्छेद 25.1
व्यक्त करता है कि :-
''प्रत्येक व्यक्ति को एक स्तरीय जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है जिसमें भोजन, कपड़े, घर, चिकित्सा देखभाल व जरुरी सामाजिक सेवाएं सम्मिलित होती हैं। इसके साथ ही बेरोजगारी, बीमारी, अपंगता, विधवा होने पर, वृद्धावस्था में अथवा आजीविका की ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाने पर जो व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हो, इन सभी स्थितियों में भी उसे सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।''

मानवाधिकारों के वैश्विक घोषणा पत्र में स्थापित प्रावधानों के आधार पर उपयुक्त आवास के अधिकार को 'आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संधि' (आईसीईएसआर) 1966 द्वारा अधिक सुस्पष्ट, सुदृढ़ एवं विस्तारित किया गया है। इस उपयुक्त आवास के अधिकार को अनुच्छेद 11.1 निम्न प्रकार से व्यक्त करता है :-

वर्तमान संकल्प से संबंधित सभी राज्य पक्ष प्रत्येक व्यक्ति को जीने के लिए उपयुक्त स्तर का अधिकार प्रदान करते हैं, स्वयं उसके लिए तथा उसके परिवार के लिए भी। इस अधिकार में उपयुक्त भोजन, कपड़ा व आवास तथा जीने की स्थितियों में सतत सुधार शामिल हैं।

उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के विशेष प्रतिवेदक ने उपयुक्त आवास के मानवाधिकार को परिभाषित करते हुए लिखा है :

"प्रत्येक महिला, पुरुष, युवा व बच्चे को एक सुरक्षित घर प्राप्त करने और उसे बनाये रखने का अधिकार प्राप्त है, ताकि वह अपने समुदाय में शांति और सम्मान के साथ जीवन जी सके।"[1]

उपयुक्त आवास का मानवाधिकार सम्मान से जीने की अनुभूति से जुड़ा हुआ है तथा अन्य सभी मानवाधिकारों जैसे भोजन का अधिकार, काम का अधिकार, स्वास्थ्य, पानी, भूमि का अधिकार तथा घर एवं परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के अधिकार से सीधा जुड़ा हुआ है।

1. उपयुक्त आवास पर विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्ट, मिलून कोठारी, ई/सीएन.4/2006/41, 21 मार्च 2006

3

जबरन बेदखली क्या है ?

आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की समिति (सीईएससीआर) ने जबरन बेदखली को इस तरह परिभाषित किया है-

''व्यक्तियों, परिवारों अथवा समुदायों को उनके घरों तथा भूमि से, जिसमें वे काबिज हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध कानूनी व अन्य सुरक्षा के उचित अवस्थापना के बिना तथा उचित प्रावधानों के बिना स्थाई व अस्थाई रुप से हटा देना।''

विकास आधारित बेदखली व विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र के मौलिक सिद्धांत एवं दिशा-निर्देश (2007)[2] जबरन बेदखली को इस प्रकार परिभाषित करते हैं-

'' ऐसी कार्यवाहियां या भूलें जिनमें व्यक्तियों, समूहों तथा समुदायों को उनके घरों, और/ या भूमि तथा आम संपत्ति/ संसाधनों, जिनमें वे काबिज थे या जिन पर उनकी निर्भरता थी, से जबर्दस्ती या अनिच्छुक तौर पर विस्थापन जबरन बेदखली में शामिल हैं। इस तरह की कार्यवाहियां किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय की कार्यक्षमता को कम करती हैं जब उनको किसी विशेष प्रकार के आवास और वातावरण में बिना किसी कानूनी प्रावधान और संरक्षण के रहने को विवश किया जाता है।''

इसके अतिरिक्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 में दो फैसलों में यह स्वीकार करते हुए टिप्पणी की कि-

''जबरन बेदखली के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन होता आया है और लगातार जारी है।''

1. सामान्य टिप्पणी 7, उपयुक्त आवासीय अधिकार (अनुबंध का अनुच्छेद 11.1): जबरन बेदखली, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र की समिति, 1997

2. उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशेष प्रतिवेदक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, ए/एचआर सी/4/18 फरवरी 2007 http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/docs/guidelines_en.pdf. Translations in other languages available at : **http://www2.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/Forced Evictions.aspx** and www.hic-sarp.org

मलिन बस्तियों तथा झुग्गी वासियों से संबंधित जबरन बेदखली के पूर्व में लिए गये अदालती निर्णयों के अनुभव एवं उदाहरण दिल्ली शहर में भरे पड़े हैं। असहाय और परेशान नागरिकों को जबरन उनके आशियानों से बेदखल कर बरबाद कर दिया गया और उस पर राज्य के लम्बे हाथ कानूनी परिभाषाओं की अत्यधिक तकनीकी व्याख्या करते हैं, संवैधानिक प्रावधानों एवं सुधारों की आड़ लेते हैं जिससे अवैध कब्जों/प्रभावितों को हटाये जाने की कार्यवाही कानूनन जायज ठहरायी जाती है, जबकि शहर में कई अवैध निर्माणों को तथा नियम विरुद्ध काबिज लोगों को नियमित और सुरक्षित कर दिया जाता है।[1]

1. पी. के. कौल बनाम इस्टेट ऑफिसर एवं अन्य, रिट पिटीशन (सी) नं. 15239/2004 एवं सीएम नं.11011/2004, दिल्ली हाई कोर्ट, 30 नवम्बर 2010

4

जबरन बेदखली के दौरान कौन से मानवाधिकार प्रभावित होते है ?

जबरन बेदखली न सिर्फ उपयुक्त आवास के मानवाधिकार का उल्लंघन करती है, बल्कि बहुत से अन्य अंतराष्ट्रीय मान्य मानवाधिकारों का भी उल्लंघन करती है, जिसमें सम्मिलित हैं-

- व्यक्ति की सुरक्षा व घर की सुरक्षा का मानवाधिकार
- स्वास्थ्य का मानवाधिकार
- भोजन का मानवाधिकार
- पानी का मानवाधिकार
- काम-धंधा/आजीविका का मानवाधिकार
- शिक्षा का मानवाधिकार
- क्रूरता, अमानवीयता तथा अपमान से मुक्ति का मानवाधिकार
- आंदोलन की आजादी का मानवाधिकार
- सूचना का मानवाधिकार
- आत्म अभिव्यक्ति एवं सहभागिता का मानवाधिकार
- पुनर्वास का मानवाधिकार

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग प्रस्ताव, 1993/77 में सुनिश्चित किया गया है कि जबरन बेदखली उपयुक्त आवास के अधिकार का प्रथमदृष्टया उल्लंघन है।

5

जबरन बेदखली की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आपके क्या अधिकार है ?

संयुक्त राष्ट्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की अनेक संधियों पर भारत सरकार ने अपनी सहमति प्रदान की है। अर्थात ये कानून भारत में प्रभावी हैं तथा उन्हें लागू करने के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार बाध्य है।

उपयुक्त आवास के लिए मानवाधिकार से सम्बन्धित विशेष प्रावधान निम्नलिखित हैं-

1. आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संकल्प पत्र (1966)[1]
   - अनुच्छेद 11.1

2. नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संकल्प पत्र (1966)[2]
   - अनुच्छेद 2.3 एवं 17

3. सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (1965)[3]
   - अनुच्छेद 5

4. बाल अधिकार पर सम्मेलन (1989)[4]
   - अनुच्छेद 27

5. सभी प्रवासी मजदूर एवं उनके पारिवारिक सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (1990)[5]

---

1. आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रिय संकल्प, संयुक्त राष्ट्र महासभा। 16 दिसम्बर 1966
   वेबसाइटः http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
2. नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रिय संकल्प, संयुक्त राष्ट्र महासभा, 16 दिसम्बर 1966
   वेबसाइटः http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
3. सभी तरह के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रिय सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासभा, 21 दिसम्बर 1965
   वेबसाइटः http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm
4. बाल अधिकारों पर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासभा, 20 नवम्बर 1989
   वेबसाइटः http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
5. सभी प्रवासी मजदूरों एवं उनके परिवार के सदस्यो के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रिय सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासभा, 18 दिसम्बर 1990
   वेबसाइटः http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm

6. शरणार्थियों की सामाजिक स्थिति से संबद्ध सम्मेलन (1951)[6]
   –अनुच्छेद 21
7. विकलांग लोगों के अधिकारों पर सम्मेलन (2007)[7]
   –अनुच्छेद 28

आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संकल्प पत्र 1966 निर्धारित करता है (अनुच्छेद 11.1) –

"यह संकल्प लेने वाली सभी राज्य सत्ताएं प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं उसके लिए और उसके परिवार के लिए जीवन के एक उपयुक्त स्तर के अधिकार की मान्यता प्रदान करती हैं, जिसमें उपयुक्त भोजन, कपड़े एवं घर तथा जीने की स्थितियों में निरन्तर सुधार शामिल है। राज्य सत्ताएं इस अधिकार की अनुभूति को सुनिश्चित करने के लिए तथा इसके प्रभाव को मुक्त सहमति पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आवश्यक महत्व दिलाने के लिए समुचित कदम उठाएंगी।"

6. शरणार्थियों के जीवन स्तर से सम्बद्ध सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासभा, 22 अप्रैल 1954
   वेबसाईटः http://www2.ohchr.org/english/law/refugees.htm
7. अपंग/असहाय लोगों के अधिकारों पर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासभा, 3 मई 2008
   वेबसाईटः http://www2.ohchr.org/english/law/disabilities-convention.htm

6

जबरन बेदखली की स्थिति में भारतीय कानून के तहत आपके क्या अधिकार है ?

1. भारत का संविधान

भारतीय संविधान स्वतंत्रता, भाईचारा, समानता और न्याय के सिद्धांतों पर मजबूती से स्थापित है, जबकि आवास के अधिकार को मौलिक अधिकार के रुप में स्पष्ट नहीं किया गया है। यह संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों एवं निर्देशक सिद्धांतों के बीच उलझा हुआ है। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों, जो उपयुक्त आवास के मानवाधिकार के संरक्षण और पूर्ण सुरक्षा से जुड़े हैं, में निम्न अधिकार शामिल हैं–

1) अनुच्छेद 19 (1) (इ) – प्रत्येक नागरिक को भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार।
2) अनुच्छेद 19 (1) (डी) – प्रत्येक भारतीय नागरिक को सम्पूर्ण भारत में कहीं भी भयमुक्त विचरण का अधिकार।
3) अनुच्छेद 21 – विधि द्वारा स्थापित कार्य पद्धति के अनुसार जीवन रक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
4) अनुच्छेद 19 (1) (जी) – प्रत्येक नागरिक को कोई भी पेशा अपनाने, या जीविकोपार्जन के लिए कोई भी कार्य, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार।
5) अनुच्छेद 14 – भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को विधि द्वारा एक समान व्यवहार या कानूनी संरक्षण का अधिकार।
6) अनुच्छेद 15 (1) – प्रत्येक नागरिक को लिंग, धर्म, जाति, वर्ण या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार।
7) अनुच्छेद 16 – प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर का अधिकार।

संविधान निर्देशक-सिद्धांतों को प्रदत्त करता है, जिसके अनुसार भारतीय राज्य अपनी नीतियों का निर्माण करता है। ये इस प्रकार हैं–

1) अनुच्छेद 39 (1) – पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए जीवन निर्वाह के समुचित साधनों पर एक समान अधिकार सुरक्षित करने के लिए राज्य की नीति निर्देशित हो।
2) अनुच्छेद 42 – राज्य द्वारा काम की न्याय संगत एवं मानवीय स्थितियां सुरक्षित करने तथा मातृत्व राहत के लिए प्रावधान किये जाएं।
3) अनुच्छेद 47 – पोषण का स्तर व जीवन स्तर उठाने तथा जन स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य।

2.राष्ट्रीय नीतियां

अनेक राष्ट्रीय नीतियां भी सरकार द्वारा उन्नत घर एवं आवास उपलब्ध कराना आवश्यक मानती हैं।

क) राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2007

भारत की राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2007, की मुख्य भावना इस प्रकार है-

समाज के उपेक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं शहरी गरीबों को विशेष महत्व देकर 'सभी के लिए सस्ते आवास का प्रावधान।[1] यह नीति सस्ती दरों पर भूमि, आवास एवं सेवाएं सुनिश्चित कराने का प्रयास करती है। यह शहरी निर्धन लोगों को उनके निवास स्थल अथवा कार्य स्थल के आसपास ही आवास मुहैया कराने को प्रथमिकता देती है और पुनर्स्थापन स्थल तक आसान पहुंच को भी स्वीकारती है। महिलाओं के मामले में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर उन्हें सम्मिलित किये जाने, आवासीय नीतियों एवं कार्ययोजनाओं के प्रतिपादन व क्रियान्वयन में उनकी सुनिश्चित सहभागिता का प्रावधान करती है। यह नीति मूलभूत सुविधाओं से युक्त आवासीय मामलों में महिला संचालित घरों, एकाकी महिलाओं, कामकाजी महिलाओं, कठिन आवासीय स्थितीयों में रह रही महिलाओं की विशेष जरुरतों पर भी जोर देती है।[2]

ख) राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2007

यह नीति भूमि के मालिक तथा अन्य जैसे किरायेदार, भूमिहीन, कृषि एवं गैर कृषि मजदूर, दस्तकार व अन्य ऐसे लोगों के हितों का संरक्षण करती है जिनकी आजीविका उस भूमि पर निर्भर है जो भूमि विकासपरक गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा नियत कर ली गयी है।[3] प्रभावित परिवारों को जो लाभ प्रदान किये जाते हैं उनमें भूमि के बदले भूमि, प्रभावित परिवार

1. राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास निति, 2007, शहरी निर्धनो को विशेष महत्व के साथ 'सभी के लिये सस्ते आवास' का लक्ष्य निर्धारित, प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार, 11 अक्टुबर 2007 उपलब्ध
   वेबसाइटः http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=33884
2. राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास निति, 2007, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मुलन मंत्रालय, भारत सरकार।
   वेबसाइटः http://mhupa.gov.in/policies/duepa/HousingPolicy2007.pdf
3. पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास नीति तथा भूमि अधिग्रहण विषयक विधिक मानक, प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार, 12 अक्टुबर 2007
   वेबसाइटः http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=31832

के कम से कम एक सदस्य को रोजगार, बेहतरी के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल वृद्धि, प्रभावित परिवारों के योग्य व्यक्तियों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधाएं जिनमें प्रभावित भूमिहीन परिवारों को घर दिया जाना शामिल है।[4]

ग) राष्ट्रीय मलिन बस्ती नीति का दस्तावेज, 2001

भारत के लिए अभी तक कोई आधिकारिक मलिन बस्ती नीति नहीं है, सिर्फ एक रूपरेखा अस्तित्व में है, जिसमें पुनर्वास से संबंधित कुछ प्रावधान निहित हैं। राष्ट्रीय मलिन बस्ती रुपरेखा में शामिल कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं :-

- राज्य/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को लोगों को हटाने जाने के लिए कोई भी निर्णय लेने से पूर्व विकल्प तलाशने चाहिए।
- आजीविका कम प्रभावित हो, इसके लिए पुनर्स्थापना के लिए नियत स्थल की दूरी कम होनी चाहिए।
- स्थान विशेष के निवासियों को वैकल्पिक स्थलों और जहां व्यावहारिक हो, स्थल चयन का अधिकार व वैकल्पिक पुनर्वास राशि प्रदान करने का प्रावधान हो।
- सभी पुनर्वास स्थलों के लिए जरुरी सुविधाएं पूर्णतः सुलभ हों तथा बसाहट सक पूर्व सार्वजनिक यातायात का प्रावधान होना चाहिए।
- प्रभावित लोगों की आजीविका की पूर्णतः क्षतिपूर्ति एक नियत समयावधि के भीतर की जानी चाहिए।
- किसी भी पुनर्वास प्रक्रिया के लिए योजना बनाने एवं निर्णय करने में प्राथमिक दावेदारों विशेषकर महिलाओं की भूमिका आवश्यक होनी चाहिए।
- कोई भी शहरी विकास परियोजना जो समुदायों की इच्छा के विरुद्ध पुनर्वास की ओर बढ़ती है, उस परियोजना को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना मूल्य अदा करने का प्रावधान करना चाहिए।
- स्थल परिवर्तन एवं परेशानी की स्थिति में विशेषकर प्रतिकूल मौसम की अवधि के दौरान दखल का निर्धारित समय घटाया जाना चाहिए।

4. राष्ट्रीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास निति, 2007, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 31 अक्टुबर 2007
वेबसाइटः http://www.dgde.gov.in/sites/default/files/acquisition/NRRP2007.pdf

घ) शहरी फड़ व्यवसायियों पर राष्ट्रीय नीति, 2013

नीति यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करती है कि किसी भी फड़ व्यवसायी को हटाए जाने अथवा स्थल परिवर्तन किये जाने से पूर्व उसे उचित सूचना दी जानी चाहिए। नीति स्पष्टतः कहती है-

> ''गैर निर्धारित स्थल में फड़ लगे होने की स्थिति में कम से कम कुछ घंटे पूर्व फड़ कारोबारी को सूचित किया जाना चाहिए, ताकि उसे (महिला-पुरुष दोनों) काबिज स्थल को खाली करने का समय मिल सके। स्थल परिवर्तन की स्थिति में पंजीकृत फड़ कारोबारियों को समुचित क्षतिपूर्ति अथवा नये फड़ स्थल के आवंटन हेतु पंजीकृत किया जाना चाहिए।''[5]

3. अदालती फैसले

क) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में व्यवस्था प्रदान की है कि उपयुक्त आवास का अधिकार एक मौलिक मानवाधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद - 21 द्वारा निर्धारित 'जीने का अधिकार' से संरक्षित है। ('कोई भी व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित कार्य व्यवहार के अनुसार अन्यथा अपने जीवन अथवा निजी स्वतन्त्रता से वंचित नही होगा'।) ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण अदालती फैसले आये है जिनमें 'आश्रय का अधिकार ' व ' जीने का अधिकार ' के मध्य स्पष्ट संबंध माना गया है, जैसा कि अनुच्छेद-21 में आश्वस्त किया गया है।[6]

---

५. शहरी फड़ व्यवसायियों पर राष्ट्रीय नीति 2009, पैरा 5.1
वेबसाइट : http://mhupa.gov.in/policies/StreetPolicy09.pdf

६. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् बनाम फ्रेंडस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, चमेली सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, {(1996) 2 एससीसी 549 132}, फ्रांसिस कोराली बनाम यूनियन टेरिटरी दिल्ली (एआईआर 1981 एससी 746, 753), शांति स्टार बिल्डर बनाम नारायण खीमा लाल टोटमी{(1990) 1 एससीसी 520}, ओल्गा तेलीज बनाम बॉम्बे नगर निगम {(1985) 3 एससीसी 545}, मधु किश्वर बनाम बिहार सरकार {(1996) 5 एससीसी 125}, भारत की ग्रामोफोन कंपनी बनाम बी बी पांडे {1984 (2) एससीसी 534}, पीयूसीएल बनाम भारतीय संघ {1997 (3) एससीसी 433}, सीईआरसी बनाम भारतीय संघ {(1995) (3) एससीसी42}

चमेली सिंह एवं अन्य बनाम उत्तरप्रदेश राज्य (1966) के एक वाद में अदालत ने 'जीने का अधिकार' पर स्पष्ट राय व्यक्त की है[7] :-

" किसी भी सभ्य समाज में पूर्णरूपेण प्रदत्त 'जीने का अधिकार' के अंतर्गत भोजन, पानी, सुखद पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आश्रय के अधिकार सन्निहित है। ये सभी किसी भी सभ्य समाज में मान्य मूलभूत मानवाधिकार है। सभी तरह के नागरिक, राजनितिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में एवं सम्मेलनों में प्रतिष्ठाापित है। अन्यथा भारतीय संविधान के अंतर्गत इन सभी मूलभूत अधिकारों के बिना 'जीने का अधिकार' पर अमल नही हो सकेगा।"

' आश्रय एवं उपयुक्त आवास' के अधिकार को भी अदालत का निर्णय स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। यह इस प्रकार है :-

" मनुष्य के लिए आश्रय अन्ततोगत्वा उसके जान-माल का संरक्षण मात्र नही है। यह एक घर होता है, जहां उसके पास शारीरिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के अवसर सुलभ होते है। इस तरह आश्रय के अधिकार में रहने का पर्याप्त स्थान, सुरक्षित एवं सुन्दर बनावट, स्वच्छ व सुखद परिवेश, समुचित प्रकाश, शुद्ध हवा तथा पानी, बिजली, सफाई तथा अन्यान्य नागरिक सुविधाएं जैसे सड़के इत्यादि सम्मिलित है, ताकि उसकी अपने दैनिक पेशे तक आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार 'आश्रय का अधिकार' से अभिप्राय किसी को सिर के ऊपर मात्र एक छत पाने तक सीमित नहीं है, अपितु सभी तरह की बुनियादी संरचना से है जो उन्हें मनुष्य की तरह जीने व विकास करने के लिए समर्थ बनाने में जरूरी हो।"

बी. दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय[8]

सुदामासिंह व अन्य बनाम दिल्ली सरकार व अन्य (2010)[9] के एक वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि बेदखल समुदायों का पुर्नवास एवं उनके मानवाधिकारों का संरक्षण करना राज्य का दायित्व है।

---

7. चमेली सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार {(1996) 2 एससीसी 549}
8. हाउसिंग एण्ड लेण्ड राइट्स नेटवर्क (एचएलआरएन) द्वारा प्रकाशित दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों की कॉमेंट्री फरवरी 2013
9. सुदामासिंह व अन्य बनाम दिल्ली सरकार व अन्य, रिट याचिका (सी नं. 8904/2009, 7735/2007, 7317/2009 एवं 9246/2009, दिल्ली उच्च न्यायालय, 11 फरवरी 2010)

23. याचिकाकर्ताओं को पुनर्स्थापना के लाभ की मनाही, उनको संविधान के अनुच्छेद-21 के अंतर्गत प्राप्त आश्रय के अधिकार का उल्लंघन है। इन परिस्थितियों में उनकी झुग्गियों का पुनर्स्थापन सुनिश्चित किये बिना हटा देने से उनके मौलिक अधिकारों के घोर उल्लंघन में वृद्धि होगी।

44.(....) जब किसी भूमि पर बसे हुए मलिन बस्ती वासी वहाॅं से खदेड़े जाने की धमकी का सामना करते हैं तो ऐसी स्थिति में निष्पक्षता के साथ उस पर विचार करने की विशेष आवश्यकता है, भले ही उनके झुग्गियों के समूह को कानूनन सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए हटाये जाने की जरूरत ही क्यों न हो। क्योंकि ऐसी स्थिति में इसके परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकते हैं। विशेषकर जब दशको पूर्व से बसे लोग अपने घरों से खदेड़ दिये जाते है। इन स्थितियों में आमतौर पर जो अनदेखी होती है वह यह कि एक परिवार को बलपूर्वक बेदखल किये जाने पर परिवार का हरेक सदस्य थोक के भाव अपने अधिकारों को गंवा देता है, यानी आजीविका का अधिकार, आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार, नागरिक तथा सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का अधिकार और कुल मिलाकर सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार।

57. यह अदालत संज्ञान लेना चाहेगी कि दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी) के संदर्भ, झुग्गी में बसने वालो के साथ दोयम दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार नहीं करते, वे अन्य नागरिकों की ही भांति जीने के लिये आवश्यक मूलभूत जरूरतो की पहुंच में कमतर हैसियत नही रखते। यदि झुग्गी निवासी को जबर्दस्ती बेदखल कर दिया गया है, अन्यत्र हटा दिया गया है तो यह सुनिश्चित करना राज्य की संवैधानिक व कानूनी बाध्यता है कि प्रभावित झुग्गी निवासी बदतर हालात में नहीं है। पुनर्स्थापन सार्थक होने के साथ-साथ झुग्गी वासी के अधिकारों (जीने का अधिकार, आजीविका एवं सम्मान का अधिकार) के साथ सामन्जस्यपूर्ण हो।

पी के कौल बनाम इस्टेट अधिकारी व अन्य (2010)[10] मैं दिल्ली उच्च्व न्यायालय ने निर्धारित किया है :-

40. (.....) प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी भाग में निवास करने एवं बसने का अधिकार भारत के संविधान में निहित अनुच्छेद 19 (1) (ई) के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में प्रदत्त है। आश्रय का अधिकार इसी अधिकार से अनुप्रेरित है तथा भारत के संविधान में निहित अनुच्छेद 21 केअंतर्गत 'जीने का अधिकार' की सार्थकता के लिये एक अभिन्न अंग की तरह मान्य है।

10. पी. के. कौल बनाम इस्टेट ऑफीसर एवं अन्य, रिट पिटीशन (सी) नं.15239/2004 एवं सीएम नं. 11011/2004, दिल्ली हाईकोर्ट, 30 नवंबर 2010

7

जबरन बेदखली की स्थिति में मध्यप्रदेश कानून के तहत आपके क्या अधिकार है ?

मध्यप्रदेश राज्य में अनेक कानून है जो बेदखली, घरों को ढहाये जाने एवं भूमि अधिगृहण की स्थितियों में नागरिक अधिकारों से सम्बन्धित मामलों को अपनी परिधी में लेते हैं। ये इस प्रकार हैं:-

1. इन्दौर का मास्टर प्लान 2021

पुनर्स्थापना मलिन, झुग्गी बस्ती क्षेत्र

गंदी बस्तियों के सुधार हेतु यह आवश्यक है कि इनकी रोकथाम विकास, निर्मूलन एवं पुनर्स्थापना हेतु एकीकृत कार्यक्रम चलाया जावे। इस हेतु निम्न 4 चरणों में प्रयास किया जाना प्रस्तावित है –

1. भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन एवं पारिक्षेत्रिक नियमों का निर्धारण एवं उनका पालन।

२. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु भूमि का आरक्षण एवं उसका विकास।

३. गंदी बस्ती क्षेत्र के पर्यावरण सुधार एवं सार्वजनिक सुविधाओं का विकास।

4. गंदी बस्ती का निर्मूलन एवं उनका नवीन स्थल पर पुनर्स्थापन।

गंदी बस्ती क्षेत्रो को मुख्यतः दो वर्गो में विभक्त किया गया है :-

अ) ऐसे क्षेत्र जिनमें सेवाओ एवं सुविधाओ का विकास कर सुधार किया जाना है।

ब) ऐसे क्षेत्र जिनका निर्मूलन कर नवीन स्थल पर पुनर्स्थापन की जाना है।

गंदी बस्ती क्षेत्रों के निर्मूलन उपरांत उनकी पुनर्स्थापन हेतु जहाँ तक संभव हो उनके वर्तमान स्थल के समीप ही स्थलो का चयन किया गया है। जिससे की गंदी बस्तीयों के पुनर्स्थापना हेतु विकास।

आवास

शहरी संरचना में अधिकतम भू-उपयोग आवासीय उपयोग द्वारा होता है। साथ ही ये शहर की आकृति तथा स्वरूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आवासीय संरचना पूरे शहर की छवि तथा उसके सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन को बना या बिगाड़ सकती है। इंदौर

को उच्च तथा मध्यम आय श्रेणी के श्रेष्ठ आवासीय विकास, जो कि राज्य के अन्य शहरो में उपलब्ध नही है, का विशेषाधिकार प्राप्त है। शहर में गंदी बस्ती तथा झुग्गी क्षेत्र शहर के अच्छे आवासीय तथा वाणिज्यिक स्थानों में विकसित हो चुके है। गंदी बस्ती की 60,572 आवासीय इकाईयाँ शहर में यत्र-तत्र विकसित हुई है।

शहर में अनाधिकृत कॉलोनियों की भी समस्या है। एकत्रित जानकारी के अनुसार यह पाया गया है कि शहर में लगभग 421 अनाधिकृत कॉलोनियाँ है। इन कॉलोनियों में अधोसंरचना के अभाव में रहवासी अस्वास्थ्यप्रद परिस्थिति में रह रहे है। आवश्यकता तथा वास्तविक रूप के कमजोर व्यक्तियों के लिये भूमि क्रय करना उनकी क्रय शक्ति के बाहर होने के कारण अनाधिकृत झुग्गीयाँ उभर कर आ रही है। इस दिशा में इदौर विकास प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत तथा झुग्गी क्षेत्र में संचालित विकास कार्यक्रम को गति देने की आवश्यकता है।आवास का अर्थ केवल आवासीय स्थल अथवा इकाईयों का प्रावधान करना ही नही है बल्कि इसका वृहद अर्थ है। प्रत्येक आवासीय क्षेत्र आश्रय की पूर्ति के साथ अन्य आवासीय उपयोग की क्षेत्र आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है जो निम्न है :-

अ)आर्थिक क्षमता के अनुसार भविष्य में विस्तार करने की संभावना तथा बदलते परिवेश में निर्माण हेतु भूखण्ड का प्रावधान।

ब) पानी, बिजली आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कूड़ा करकट अपशिष्ट जल-मल निकास की सुदृढ़ व्यवस्था का प्रावधान।

स) सामाजिक सुविधायें जैसेः- शिक्षा, स्वास्थय, आमोद-प्रमोद आदि उपलब्ध कराना।

द) जन परिवहन के साधनों एवं सुविधाओं की उपलब्धता जो कि कार्य केंद्र, शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं से उचित ढ़ंग से आवासीय क्षेत्रों को जोड़े।

2. पंजिकृत कॉलोनियों में कमजोर वर्गो के लिये आरक्षित 15 प्रतिशत भूमि का प्रावधान

अ) किसी भी नगर में जब कभी कोई संस्था या निजी कॉलोनाईजर या व्यक्तियों द्वारा आवासीय कॉलोनियाँ प्रस्तावित की जाती है तो उसको ले आऊट नक्शे में आवासीय प्लाटों के

“ विकास प्राधिकरण एवं गृह निर्माण मंडल द्वारा जो ई.डब्लू.एस मकान बनाये जाते है वे इतने महंगे होते है कि अत्यन्त गरीब परिवार उन्हें लेने के सक्षम नहीं होते हैं। यह आवश्यक है कि नगर की विभिन्न आवासीय योजनाएं में कुछ भूमि ऐसे व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाये ताकि वे वहां अपना आवास बना सकें यह भूमि वर्तमान सार्वजनिक स्थानों पर बनी झुग्गी झोपडी को व्यवस्थापन करने के उपयोग में भी लाई जा सकती है ।”

अतिरिक्त विभिन्न सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित की गई भूमि में से कुल भूमि का 15 प्रतिशत गरीब बस्ती के लिए दर्शाया जाये नक्शे का परीक्षण करते समय नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि नियमानुसार विभिन्न सार्वजनिक खुले क्षेत्रों के साथ साथ उक्त 15 प्रतिशत भूमि भी आरक्षित की गई है। यह भूमि ऐसे स्थानों पर रखी जाये जहां कालोनी के निवासियों को किसी प्रकार बाधक न हो उक्त व्यवस्था होने पर ही नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग द्वारा अभिन्यास को स्वीकृति दी जाये।

ब) सामान्य प्रक्रिया अनुसार आवासीय प्लाटों की भूमि को छोड़कर शेष विकसित होने पर नगर निगम पालिका ने बैष्ठत हो जाती है। इसी प्रकार गरीब बस्ती के लिए आरक्षित भूमि 15 प्रतिशत गंदी बस्ती निर्मूलन मंडल में बैष्ठिता होगी और उसका उपयोग गंदी बस्ती निर्मूलन मंडल में बैष्ठित होगी और उसका उपयोग गंदी बस्ती निर्मूलन मंडल के संचालन तथा मार्गदर्शन में किया जायेगा। ''यह स्पष्ट किया जाता है कि जिस प्रकार खुला क्षेत्र निःशुल्क नगर निगम पालिका में बैष्ठित होता है उसी प्रकार गरीब के लिए आरक्षित भूमि भी बस्ती निर्मूलन मंडल में निशुल्क बैष्ठित होगी।'' तथा मार्गदर्शन में किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे व जो आवास योजना पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है उनका परीक्षण नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग द्वारा इस उद्देश्य से किया जायेगा कि खुले छोडे हुए क्षेत्रों में बिना किसी बाधा से क्या 5 प्रतिशत सीमा तक भूमि गरीब बस्तियों के लिए निकाला जा सकता है अथवा नहीं और अगर निकाली जा सकती है तो वह उस कार्य के लिए व्यवस्था कराई जायेगी।

मध्यप्रदेश पट्टा कानून 1984

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984

यह एक ऐसा कानून है जो म.प्र. राज्य के शहरी क्षेत्रो में निवास करने वाले भूमिहीन व्यक्तियों को आवासीय भूमि का पट्टा अधिकार प्रदान करता है

इस कानून के भाग 5 में दर्शाया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी भूमिहीन व्यक्ति को उसके पट्टा अधिकार वाली भूमि से या उसके भाग से बेदखल करता है या बेदखल करने का प्रयास करता है तो वह भारतीय कानून के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके तहत दो वर्ष का कारावास या निर्धारित जुर्माना राशि या दोनो सजा साथ - साथ का प्रावधान है।

8

बेदखली के मामले में अंतर्राष्ट्रीय दिशा – निर्देश व मानक क्या है, जिनका अनुपालन आवश्यक है ?

अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय कानूनों एवं नीतियों के अतिरिक्त मानवाधिकार से संबंधित अनेक विशिष्ट मानकों व दिशा-निर्देशों को भी व्यवहार में अपनाये जाने की जरुरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रभावित आबादी के अधिकार सुरक्षित हैं। बेदखली एवं विस्थापन पर आधारित विकास की सोच को लेकर संयुक्त राष्ट्रसंघ के मूल सिद्धांत व दिशा-निर्देश सदस्य राज्यों व गैर सदस्य राज्यों के लिए विस्तृत चरण निर्धारित करते हैं, जिनको असामान्य परिस्थितियों में घटित होने वाली बेदखली की स्थिति में अनुपालन आवश्यक है।[1]

बेदखली एवं विस्थापन पर आधारित विकास को लेकर 'उपयुक्त आवास' के संबंध में निर्धारित संयुक्त राष्ट्रसंघ के मूल सिद्धांत व दिशा-निर्देश (2007)[2] संयुक्त राष्ट्र के ही विशेष प्रतिवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये तथा उन पर संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद ने भी अपनी सहमति प्रदान की है।

इन दिशा-निर्देशों में अनेक उपयोगी प्रावधान सम्मिलित हैं जो मानवाधिकारों की सुरक्षा पर केन्द्रित हैं। ये दिशा-निर्देश मुख्य रुप से :-

- बेदखली व विस्थापन की संभावनाओं को विकल्पों के जरिये कम करने का प्रयास करते हैं।
- विशेष रुप से यह उल्लेख करते हैं कि असामान्य परिस्थितियों में बेदखली की कार्यवाही सिर्फ स्वास्थ्य सुरक्षा तथा लोगों की व्यापक भलाई को देखकर ही की जा सकती है।
- असमान्य परिस्थितियों में बेदखली की स्थिति में कार्य संचालन की पद्धति निर्धारित करते हैं जिनका सदस्य राज्यों तथा गैर सदस्य राज्यों दोनों के द्वारा बेदखली की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में अर्थात बेदखली की प्रक्रिया के पूर्व, प्रक्रिया के दौरान एवं प्रक्रिया के बाद अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अनुपालन हो सके।

संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश व्यक्त करते हैं कि असामान्य परिस्थितियों में बेदखली केवल जन कल्याण को ध्यान में रखकर ही की जा सकती है। ऐसी सभी कार्यवाहियां कानून द्वारा अधिकृत हों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरुप क्रियान्वित हों, तार्किक व आनुपातिक हों तथा इनमें

पूरा-पूरा व न्याय संगत मुआवजे के साथ ही पुनर्स्थापन सुनिश्चित हो।[3]

1. बेदखली से पूर्व (पैराग्राफ 37-44)

बेदखली से पूर्व सरकार के लिए निम्नलिखित मानकों का पालन आवश्यक है:-

क) बेदखली के निर्णय तथा मौजूद वैकल्पिक प्रस्तावों पर कानूनी चुनौती का अवसर दिये जाने के लिए प्रभावित लोगों के साथ प्रभावपूर्ण परामर्श करना अथवा आम सुनवाइयां आयोजित करना।

ख) प्रस्तावित बेदखली से विकास व प्रयोग की संभावना से पूर्ण वास्तविक मूल्य और नुकसान (सामग्री, वस्तु व अन्य) अनुमान का निर्धारण करने के लिए 'बेदखली असर आकलन' का पालन करना।[1]

ग) खाली कराये जाने वाले स्थल का सर्वेक्षण करना, जो विशेषकर प्रभावित लोगों व अत्यधिक उपेक्षित समूहों की पहचान करने के लिए आवश्यक है।

घ) वास्तविक रुप में प्रभावित सभी लोगों को लिखित में तथा स्थानीय भाषा में बेदखली की सही तिथि के नोटिस जारी किये जाएं जिनमें बेदखली के निर्णय तथा पुनर्वास की योजनाओं के संबंध में विस्तार से स्पष्टीकरण शामिल हो।

ङ) प्रभावित लोगों को उनके अधिकारों तथा विकल्पों के लिए कानूनी, तकनीकी एवं अन्य सलाह की सुविधा मुहैया कराना। जरुरत पड़ने पर उन प्रभावितों को मुफ्त कानूनी मदद प्रदान करना।

च) प्रभावित समुदाय को पुनर्वास स्थल में बसाने से पूर्व उस स्थल को 'उपयुक्त आवास की व्यवस्था' को ध्यान में रखकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरुप तैयार करना।

2. बेदखली के दौरान (पैराग्राफ 45-51)

बेदखली की कार्यवाही के दौरान सरकार (एवं कार्यवाही में सम्मिलित सभी सरकारी संस्थाओं) को

चाहिएः-

क) बेदखली वाले स्थल पर सरकारी अधिकारियों/जन प्रतिनिधियों एवं/अथवा तटस्थ पर्यवेक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

ख) यह सुनिश्चित करना कि असामान्य मौसम को स्थितियों में, रात्रि के समय में, धार्मिक अवकाश एवं उत्सवों के दौरान, विद्यालयी परीक्षाओं से पूर्व या परीक्षाओं के दौरान बेदखली की कार्यवाही न हो।

ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना कि महिलाओं के साथ लिंग आधारित भेदभाव व हिंसा न हो तथा बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहें।

घ) यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति हमलों व हिंसा का शिकार न हो अथवा मनमाने ढ़ग से संपत्ति व अन्य चीजों से वंचित न हो।

ङ) बल का कानूनी प्रयोग करते समय आवश्यकता एवं समानता के सिद्धांत का सम्मान किया जाए।

च) बेदखली से प्रभावित लोगों को उनके घरों तक छोड़ने के लिए एवं पुनर्वास स्थल तक ले जाने में सहायता करना।

3. बेदखली के बाद (पैराग्राफ 52-58)

बेदखली के बाद सरकार (कार्यवाही में शामिल सभी सरकारी पक्ष) के लिए निम्न कार्य करने आवश्यक हैं :-

क) यथाशीघ्र न्यायसंगत मुआवजा तथा समुचित वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराना।

ख) यह सुनिश्चित करना कि बेदखली के कारण किसी एक बड़े परिवार के सदस्य अथवा किसी समुदाय के सदस्य एक दूसरे से अलग न किये गये हों।

ग) यह सुनिश्चित करना कि सभी योजनाओं की प्रक्रियाओं में एवं मूलभूत सेवाओं व आपूर्ति के वितरण में महिलाओं की समान भागीदारी हो।

घ) सभी बेदखल लोगों की समुचित चिकित्सीय देखभाल व मनोवैज्ञानिक सहायता की जाए। महिलाओं और बच्चों की जरुरतों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

ङ) यह सुनिश्चित करना कि चयनित किया गया पुनर्वास स्थल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के अनुरुप 'उपयुक्त आवास' के मानकों को पूरा करता है।

च) यह सुनिश्चित करना कि महिलाएं, बच्चे, असहाय लोग तथा अन्य उपेक्षित समूह समान रुप से संरक्षित हैं तथा उनके स्वामित्व के अधिकार सुरक्षित हैं।

बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश

संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश सुनिश्चित करते हैं कि -

1. बच्चों के मानवाधिकार पूर्णतः सुरक्षित हैं।
2. उपयुक्त आवास के लिए बच्चों के अधिकारों का हनन न होने पाये और जबरन बेदखली में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।
3. 'बेदखली प्रभाव आकलन' के समय जबरन बेदखली से बच्चों पर पड़ने वाले असंगत प्रभावों का ध्यान रखा जाए।
4. इस बात पर बल देते हैं कि बेदखली की कार्यवाहियों के दौरान बच्चों पर किसी भी प्रकार की हिंसा का कोई औचित्य नहीं है।
5. यह स्पष्ट करते हैं कि जबरन बेदखली की कार्यवाहियां स्कूली परीक्षाओं के दौरान अथवा परीक्षा से पूर्व नहीं की जा सकतीं।
6. लाभ से वंचित समूहों जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, को घर तथा भूमि आवंटन में प्राथमिकता देना आवश्यक है।
7. यह स्पष्ट करते हैं कि बेदखली के बाद तुरंत राहत एवं पुनर्वास के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा तथा बाल सुरक्षा जैसी सुविधाओं का प्रावधान जरुर शामिल किया जाए।

8. पुनर्वास स्थलों के दायरे में विद्यालयों तथा बाल सुरक्षा केन्द्रों को शामिल करना आवश्यक है।

9. बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी अधिकार सुरक्षित रहें। इसके लिए बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी जरुरतों पर विशेष रुप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश

संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश सुनिश्चित करते हैं कि-

1. महिलाओं को उपयुक्त आवास एवं उसके उपयोग की समय-सीमा की सुरक्षा को लेकर मानवाधिकार के एक समान लाभ प्राप्त हैं। (सभी महिलाओं को घर एवं भूमि पर स्वामित्व का अधिकार मिलना चाहिए।

2. महिलाओं को जबरन बेदखली से सुरक्षा का समान अधिकार प्राप्त है।

3. 'बेदखली असर आकलन' जैसे कार्यक्रम महिलाओं पर बेदखली के असंगत प्रभावों को निर्धारित करते है।

4. बेदखली के दौरान महिलाएं किसी भी प्रकार की हिंसा एवं भेद-भाव का विषय नहीं हैं।

5. महिलाएं हर तरह के मुआवजे की एकमुश्त धनराशि में पुरुषों के साथ संयुक्त रुप से लाभार्थी हैं।

6. महिलाओं को सभी प्रकार की योजनाओं तथा निर्णय प्रक्रियाओं में समान रुप से भाग लेने और प्रभावपूर्ण बात रखने का हक है, ताकि घरेलू, सामुदायिक, संस्थागत, प्रशासनिक, कानूनी तथा अन्य लिंग आधारित पूर्वाग्रहों को नियंत्रित किया जा सके।

7. महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी अधिकार सुरक्षित किये गये हैं, अर्थात महिलाओं को प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सुरक्षा तथा यौन उत्पीड़न व अन्य किसी भी शोषण का शिकार होने की स्थिति में महिला स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वालों तथा संबंधित सभी सेवाओं तक सीधे पहुंच बनाने का अधिकार है।

9

जबरन बेदखली की स्थिति में आपके लिये कौन से समाधान उपलब्ध है ?

अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार बेदखली के अधीन आये सभी लोगों को यथासमय एवं यथोचित सुविधाएं / समाधान पाने का अधिकार है, जैसे कानूनी सलाहकार तक पहुंच, मुफ्त कानूनी सहायता, क्षतिपूर्ति, पूनर्वास एवं पुनर्स्थापना।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के उपरोक्त दिशा-निर्देश 'समाधान के अधिकार' को भी संरक्षित करते हैं। इसमें निम्न बातें शामिल हैं :-

1. उचित व त्वरित मुआवजा

यह निम्न स्थितियों के लिए मुहैया करायी जाती है-

- कोई भी ऐसी क्षति जैसे जीवन की हानि, शारीरिक या मानसिक क्षति, रोजगार व शिक्षा के अवसर खोलना एवं सामान आदि की क्षति (जो आर्थिक निर्धारण के योग्य हो) होने पर।
- भूमि की गुणवत्ता, आकार और मुआवजा मूल्य के रुप में अनुरुप भूमि के साथ भूमि की जब्ती होने पर।
- सभी लोगों के सामान की टूटफूट व संपत्ति के नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति दी जाए, चाहे वे इसकी पात्रता रखते हों अथवा नहीं।
- महिला और पुरुष दोनों के समान रुप से मुआवजा राशि में सह-लाभार्थी होने की स्थिति में।
- बेदखली के दौरान अथवा बेदखली के बाद मानवाधिकारों के उल्लंघन के फलस्वरुप सभी तरह के नुकसान एवं टूटफूट होने पर।

2. मुआवजा एवं बहाली

- यदि स्थितियां बनती हैं तो सरकार को चाहिए कि उन व्यक्तियों, वर्गों, समुदायों को पुनर्बहाली में प्राथमिकता दी जाए जिन्हें जबरन बेदखल कर दिया गया था।
- यदि समुदाय एवं परिवार पुनर्बहाली नहीं चाहते हैं तो उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें विवश न किया जाए।
- यदि बहाली संभव हो तो सरकार स्थितियां तय करेगी तथा व्यक्तियों व समुदायों के लिए सुरक्षा व सम्मान के साथ वापसी के लिए संसाधन उपलब्ध करायेगी।
- अपने मूल आवास स्थलों पर वापसी करने वाले उन सभी लोगों के एकीकरण के लिए सरकारी संस्थाएं सुविधाएं मुहैया करायेंगी तथा वापसी प्रक्रिया की व्यवस्था एवं योजनाएं बनाने में सभी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगी।

- बेदखली के कारण जिन लोगों की संपत्ति व सामान छूट गया हो अथवा खो गया हो उसको ढूंढने अथवा खोजने में सक्षम सरकारी संस्थाओं को सहायता करनी चाहिए। यदि यह संभव न हो तो मुआवजा व अन्य मदद उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

3. पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन

- पुनर्स्थापन के अंतर्गत महिलाओं, उपेक्षित लोगों एवं असहाय समूहों के लिए समान मानवाधिकारों के उपयोग संबंधी कार्यक्रम शामिल किये जाने चाहिए।
- पुर्नवास स्थल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत 'उपयुक्त आवास' के मानक को पूरा करे।
- नये आवास जहां तक संभव हो प्रभावितों के मूल निवास तथा उनकी आजीविका के साधनों के आसपास स्थापित होने चाहिए।
- पुनर्वास स्थल पर्यावरणीय रुप से प्रतिबंधित क्षेत्रों, दूषित भूमि और प्रदूषण उत्पन्न करने वाले स्थानों के नजदीक स्थापित न हों।
- पुनर्वास प्रक्रिया न्यायसंगत एवं एक समान होनी चाहिए तथा पुनर्वास स्थल एक उपेक्षित क्षेत्र व वीरान बस्ती के रुप में आकार न ले।
- बेदखल की गयी आबादी के मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो तथा पुनर्वास के कारण नये स्थल में रह रही आबादी के लिए जीने की स्थितियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

10

जबरन बेदखली को रूकवाने /विरोध अथवा न्याय पाने के लिये उठाये जा सकने वाले कदम

1. याचिका/जनहित वाद (पीआईएल) दायर करना

जनहित वाद (पीआईएल) एक ऐसी याचिका है जो समाज के किसी भी सदस्य द्वारा जनहित के किसी भी मामले के लिए, जनहित को हुए किसी भी नुकसान के लिए दायर की जा सकती है। जबरन बेदखली से संबंधित मामलों में कोई भी प्रभावित व्यक्ति किसी वकील के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय अथवा निचली अदालत में बेदखली से हुए नुकसान के लिए जनहित याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

जनहित याचिका किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कानूनी समाधान पाने के लिए दायर की जा सकती है। भारत के संविधान के अनुसार यह याचिका अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में या अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है।

जनहित याचिका / जनहित वाद दायर करने के लिए जरुरी कदम

1. अपना वाद दायर करने के लिए किसी जनहित मामलों से संबंधित वकील अथवा संगठन (जैसे ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क) से संपर्क करें।
2. जरुरी साक्ष्य एकत्रित करें, जैसे पात्रता का अनुबंध, आवासीय साक्ष्य, पहचान का साक्ष्य, बेदखली के फोटो, नोटिस तथा पुनर्वास नीति (यदि कोई हो) आदि।
3. अदालत जाने वाले सभी पीड़ित पक्षों के नाम व पते आदि की सूची तैयार करें।
4. सभी सरकारी एजेंसियों जहां से कोई भी राहत मिल सकती है, के नाम व पतों की सूची तैयार करें।
5. मानवाधिकारों के उल्लंघन को बढ़ाने वाले तथ्यों की सूची तैयार करें।
6. प्रभावित पक्ष किसी स्थल विशेष में जिस तारीख से रह रहे हैं, जब बेदखली की कार्यवाही हुई, जब उन्हें नोटिस दिया गया , इन सबकी सूची तैयार करें।

2. मानवाधिकारों के उल्लंघन एवं बेदखली के दस्तावेज

- अपने मोबाइल फोन से ध्वस्तीकरण के फोटोग्राफ खींचें।
- अपने मोबाइल फोन या कैमरे में ध्वस्तीकरण का वीडियो तैयार करें।
- तैयार दस्तावेजों को प्रमाण के रुप में अदालत में प्रयोग करें तथा मीडिया, सक्षम गैर सरकारी संस्थाओं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशेष प्रतिवेदक को भेजें।

3. बेदखली व पुनर्वास से संबंधित सूचना के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) अपील दायर करना

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई), 2005 के अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी कार्यालय, विभाग या अधिकारी से सूचनाएं मांग सकता है। यह अधिनियम सभी नागरिकों को समय से सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम सूचना चाहने वाले नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है :-

- अनुमति योग्य सरकारी दस्तावेजों की प्रतियां करना।
- अनुमति योग्य सरकारी दस्तावेजों का निरीक्षण करना।
- अनुमति योग्य सरकारी कार्यों का निरीक्षण करना व नमूने प्राप्त करना।

सूचना का अधिकार अधिनियम, सार्वजनिक सूचनाएं चाहने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाता है:-

1. चाही गयी सूचना का स्पष्ट उल्लेख करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखें। यह पत्र हस्तलिखित या टाइप किया हुआ हो सकता है तथा ईमेल से भी भेजा सकता है। सूचना चाहने वाले को पत्र लिखने में परेशानी होने पर वह लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) अथवा सहायक लोक सचूना अधिकारी से मौखिक रुप से भी प्रार्थना कर सकता है। उक्त अधिकारी संबंधित व्यक्ति की प्रार्थना को लिखने के लिए बाध्य हैं। यह प्रार्थना अंग्रेजी, हिंदी या संबंधित क्षेत्र की कार्यालयी भाषा में की जा सकती है।

2. प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना शुल्क के रुप में दस रुपये का भुगतान करें। यह शूल्क डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रुप में भेजा जा सकता है अथवा संबंधित विभागीय लेखाधिकारी को नकद भी दिया जा सकता है। सूचना चाहने वाले को आगे अन्य शुल्क, जो उसे लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) द्वारा दस्तावेज मुहैया कराने के एवज में निर्धारित किया गया हो, वह भी देना होगा।

3. इस तरह उक्त प्रार्थना पत्र संबंधित सार्वजनिक संस्थान के लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित करें।

4. चाही गयी सूचना 30 दिन के भीतर प्राप्त न होने पर, अथवा लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट न होने की स्थिति में आवेदक अपील दायर कर सकता है।

5. यह अपील किसी भी सादे कागज में मूल प्रार्थना पत्र की प्रति के साथ संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत की जा सकती है।

6. यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी से भी सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं तो आप सूचना आयोग में दूसरी अपील दायर कर सकते हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए इस वेबसाइट का अवलोकन करें: http://rti.india.gov.in/ and http://cic.gov.in

सक्षम सरकारी अधिकारियों तथा विभागों से आप निम्नलिखित सूचना मांग सकते हैः-

- ध्वस्तीकरण की सूचना
- ध्वस्तीकरण का कारण और ध्वस्तीकरण के आदेश की प्रतियां
- पुनर्वास स्थल तथा वैकल्पिक आवास की जानकारी
- पुनर्वास संबंधी नीति।

४.बेदखली असर आकलन

हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क (एचएलआरएन) ने वर्ष 2007 में 'बेदखली असर आकलन' के रुप में एक साधन विकसित किया जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के मूल दिशा-निर्देशों तथा सिद्धांतों पर आधारित है। विकास आधारित बेदखली एवं विस्थापन संबंधी किसी भी परियोजना की स्वीकृति अथवा उसे अंतिम स्वरुप देने से पूर्व 'बेदखली असर आकलन' का विचार किया जाना चाहिए। ऐसा किया जाना संयुक्त राष्ट्रसंघ के मुल सिद्धांतो एवं दिशा-निर्देशों के अनुरुप आवश्यक है। इस नये साधन को बेदखली की कार्यवाही को रोकने में एक मशीनी तकनीक के रुप में प्रयोग किया जा सकता है और जहां पहले ही बेदखली हो चुकी हो वहां यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि न्यायसंगत व समुचित भरपाई, पुनर्स्थापन और मुआवजे का निर्धारण किया जाए। विकसित की गयी यह तकनीक जबरन बेदखली के दौरान हुए संपत्ति के नुकसान (जैसे भूमि, भवन, घरेलू सामान आदि) तथा गैर संपत्ति के नुकसान (जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि) का मूल्य निर्धारण पर केन्द्रित है। यह नयी तकनीक स्थानीय परिस्थितियों में अपनायी जा सकती है तथा व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों एवं समाज पर बेदखली के वास्तविक प्रभावों का निर्धारण करने में भी प्रयोग में लायी जा सकती है। इस तकनीक के जरिए प्राप्त तथ्यों को सरकार के साथ क्षतिपूर्ति संबंधी विचार-विमर्श तथा अदालत में प्रस्तुत करने के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है।

इस नवीन तकनीक पर विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें:
एचएलआरएन, फोनः 011–24358492 / info@hic-sarp.org

बेदखली असर आकलन, बलजीत नगर, दिल्ली

एचएलआरएन ने अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर बलजीत नगर दिल्ली (एक ऐसी बस्ती जो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मार्च 2011 में ध्वस्त कर दी गयी थी) में दो बार 'बेदखली असर आकलन' का कार्यक्रम आयोजित किया। तथ्यों पर आधारित पहला अध्ययन कार्यक्रम बेदखली (जून 2011) के तीन माह बाद आयोजित किया गया जिसमें ध्वस्तीकरण से हुए सीधे नुकसान के लिए प्रति घर के हिसाब से 60,000-70,000 रुपये के औसत नुकसान का निर्धारण किया गया। ये तथ्य दिल्ली उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत किये गये। दूसरा अध्ययन कार्यक्रम बेदखली के एक वर्ष बाद (जुलाई 2012) में आयोजित किया गया जिसमें प्रति घर के हिसाब से औसत नुकसान का निर्धारण विश्लेषण अभी प्रतीक्षारत है।

5. तथ्य खोज अभियान (फैक्ट फाइंडिंग)

तथ्य खोज अभियान के लिए किसी संस्था / संगठन की सहायता लें जो जबरन बेदखली से संबंधित सही तथ्य, साक्ष्य एवं प्रमाण जुटाने में उपयोगी हो सके। इस मिशन का उद्देश्य अधिकारों के उल्लंघन संबंधी दस्तावेज तैयार करना तथा न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में संस्तुतियां तैयार करना है। इस तथ्य खोज अभियान की रिपोर्ट कानूनी बहस के उद्देश्यों के लिए भी उपयोग में लायी जा सकती है। आप किसी खास बेदखली की घटना पर सूचनाएं एकत्रित करने के लिए तथा नागरिक अधिकारों की जागरुकता के लिए सार्वजनिक सुनवाइयां और जन अदालतों का आयोजन भी कर सकते हैं।

6. सांसदों / विधायकों पर दबाव डालना

व्यापक पैमाने में ध्वस्तीकरण पर हस्तक्षेप के लिए घर छिन जाने के मुद्दों को लेकर सांसदों और विधायकों से मिलकर अपने पक्ष में जनमत खड़ा करें।

7. सविनय अवज्ञा कार्यक्रम आयोजित करना

- जन सुनवाई

जिन लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें कोई तिथि, समय और स्थान निश्चित कर जन सुनवाई का आयोजन करना चाहिए। जन सुनवाई में मानवाधिकारों से संबंधित विषय के जानकार लोगों का एक पैनल बनाया जाना चाहिए जो पीड़ित लोगों की समस्याओं को सुनकर एक निष्कर्ष या राय पर पहुंचेंगे। उस राय को सरकार और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाना चाहिए। जन सुनवाई का काफी महत्व होता है और उससे सरकार और उसके नुमाइंदों पर सही

पहल के लिए एक दबाव बनता है। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित जनता के पक्ष में माहौल खड़ा होता है।

- धरना/रैली

समुदाय तथा सहयोगियों को साथ लेकर जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों के कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन करें। घटनास्थल पर मीडिया को बुलाएं और एक मांगपत्र तैयार करें तथा उसके साथ कानून ... रें।

- चक्का जाम

किसी नियत तिथि पर सभी व्यावसायिक वाहनों को किसी विशेष सड़क अथवा सड़कों पर संचालन न करने की अपील करें अथवा बेदखली व मानवाधिकारों के उल्लंघन पर लोगों को जागरुक करने के लिए तथा अपनी मांगों के समर्थन में किसी स्थान विशेष पर चक्का जाम कर सरकार पर दबाव बनायें।

- काला दिवस

सरकारी कार्यवाही पर रोष व्यक्त करने, विरोध दर्ज करने के लिए काले झंडे लहराकर, काली पट्टी, कपड़े और बैज लगाकर काला दिवस मनायें।

8. पत्र लेखन / पोस्ट कार्ड / पोस्टर अभियान

- पत्र लेखन अभियान शुरु करने के लिए ऑनलाइन पत्र तैयार करें और उसमें अपने मुद्‌दों का विवरण लिखकर बड़े पैमाने पर ईमेल सूची द्वारा लोगों को भेजें तथा उनसे अन्य लोगों को प्रोत्साहित व जागरुक करने हेतु भेजने के लिए अनुरोध करें। आप अधिक से अधिक लोगों का हस्ताक्षर युक्त

पत्र भी लिख सकते हैं इसके लिए विद्यालयों, कॉलेजों, संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में संपर्क किया जा सकता है।

- उचित प्राधिकरण को अपनी चिंताओं से अवगत कराने के लिए पोस्ट कार्ड भेजें। इस तरह का एक अभियान पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के शाहबाद डेयरी स्थित सरकारी और दिल्ली नगर निगम के स्कूली बच्चों द्वारा चलाया गया जिसमें लगभग 180 प्रतिभागियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के

इन्दौर में पोस्टर अभियान

सन् 2006 मे इन्दौर शहर में रोड साईड में सब्जी और फल की रेहड़ी लगाने वालो को नगर निगम इन्दौर ने हटाने का आदेश दिया। तब आस-पास के उच्च मध्यमवर्गीय परिवारों से बात की तो निष्कर्ष निकला कि इन रेहड़ीयों की वजह से उनके बच्चे और खास कर महिलाएँ सडक पद सुरक्षित रहती हैं, तब उन कॉलोनियों के रहवासीयों ने पोस्टरों पर अपने संदेश के माध्यम से एवं हस्ताक्षर अभियान चला कर नगर निगम के अधिकारीयों पर दबाव बना कर उस बेदखली को रूकवाया एवं उनके आजिविका को बरकरार रखा।

इन्दौर में विस्थापन के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही

सन् 2014 मे इन्दौर शहर के मध्य में स्थित के. ई. एच. कम्पाउण्ड में निवासरत् रहवासियों की अवैध बेदखली के खिलाफ, समय पूर्व दखलनदाजी से अवैध बेदखली की कार्यवाही रूकवा दी गई । ये रहवासी विगत 60 वर्षो से भी ज्यादा समय से वर्तमान स्थल पर निवास कर रहे है, उक्त सभी रहवासियों को राजीव आश्रय योजना के तहत 01 वर्ष के पट्टे वितरीत किये गये थे। पट्टा कानून के दिशा निर्देशों का उपयोग कर उस अवैध विस्थापन की कार्यवाही को न्यायालय के आदेश के तहत रूकवा दिया गया।

11

जबरन बेदखली के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर आप किससे संपर्क कर सकते है ?

1. उपयुक्त जिम्मेदार सरकारी अधिकारी एवं संस्थाएँ

पता करें कि कौनसा विभाग बेदखली के लिये जिम्मेदार था। उस विभाग के उपयुक्त अधिकारी से सम्पर्क करें। जैसे की म.प्र. से सबंधित सभी मामलों में म.प्र. के मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव एवं विभिन्न आयोगो आदि से सम्पर्क किया जा सकता है।

1) मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग
प्रवास भवन, ब्लॉक 1
भोपाल-462011
टेलिफोन नम्बर- 0755-2572034
फैक्स- 0755-2574028
(सदस्य- न्यायाधीश , सचिव आईएस)

2) नगरीय प्रशासन और विकास निदेशालय, मध्य प्रदेश
आयुक्त
मकान नंबर 203
पालिका भवन, शिवाजी नगर भोपाल, पिन कोड-462016
टेलिफोन नम्बर-91 755 2552356
फैक्स- 91 755 2552591

3) कलेक्टर, इन्दौर
ऑफिस- 244911-112
फैक्स-2449114

4) इंदौर विकास प्राधिकरण (सीईओ)
रेस कार्स रोड़, पलासिया इंदौर
सभापति
फोन नम्बर- 2435111

5) मध्यप्रदेश गृह-निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल
तीसरा -चौथा फ्लोर , ब्लॉक ३
प्रयवास भवन
मदर टेरेसा रोड़, भोपाल-462011 ,मध्यप्रदेश
फोन नम्बर- 91 0755 2551659, 2550987, फैक्स- 2556065

6) मध्यप्रदेश गृह-निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल
सर्कल-इंदौर शॉपिंग कॉम्पलेक्स, एबी रोड़ इंदौर
फोन नम्बर- 0731 2553366

7) मुख्यमंत्री,मध्यप्रदेश
श्यामला हिल्स, भोपाल
फोन नम्बर- 91 755 2441581
91 755 2441033
फैक्स- 91 755 2441781

8) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश
वल्लभ भवन, भोपाल 462003
फोन नम्बर- 91 755 2441848
91 755 2441370

9) इंदौर नगर निगम
सभापति
जेल रोड़ नगर निगम
नेताजी सुभाष मार्ग नगर निगम, इंदौर
मध्यप्रदेश- 452007
फोन नम्बर- 0731 253 5555

10) मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग
प्रवास भवन, भोपाल ब्लॉक १,
जेल रोड़, अरेरा हिल्स भोपाल-462006
फोन नम्बर- 0755-2572034, फैक्स- 0755-2574028

11) मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक आयोग
सचिव
एचसी 49, एनआरआई कॉलोनी
कोह-ए-फीज़ा, भोपाल, मो.नं.- 9826089241

2 मानवाधिकार संस्थाऐं

1 ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क
475, मस्जिद रोड, जंगपूरा, नई दिल्ली-110014
फोन : (011) 2437-4501/2437-9855 ईमेल : contact@hrln.org

2 हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क (आवास एवं भूमि अधिकार संगठन)
जी - १८६१, निजामुद्दीन वेस्ट, लोअर ग्राउंड फ्लोर, नई दिल्ली-११००१३
फोन/फैक्स : (011) 2435-8492 ईमेल : info@hic-sarp.org

3 नेशनल कैम्पेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स
8/1, साउथ पटेल नगर, सेकेन्ड फ्लोर, नई दिल्ली-110008
फोन : (011) 4566-8341/4503-7897

3 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

1 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)
फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन : (011) 2338-2509/9810298900 इमेल : jrlawnhrc@nic.in

2 राष्ट्रीय महिला आयोग
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110002
फोन (011) 2323-7166 ईमेल : ncw@nic.in

3 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
5वीं मंजिल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001
फोन : (011) 2347-8200 ईमेल : ncpcr.india@gmail.com

4 दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग
5वीं मंजिल, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006
फोन : (011) 2386-2684 ईमेल : dcpcr@hotmail.com

5 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
5वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
फोनः (011) 2461-5583 ईमेल : ro-ncm@nic.in

6 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
त्रिकुट 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
फोनः (011) 2618-3227

4 मीडिया

1 प्रमुख समाचार पत्रों के पत्रकारों को कॉल करें

2 बेदखली और तोड़फोड़ की विस्तृत जानकारी के साथ प्रेस रिलीज़ करने वाले संगठनों से सम्पर्क करें

3 स्थानीय संगठनों के सहयोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें

कुछ प्रमुख समाचार पत्रों के सम्पर्क नम्बर

अंग्रेजी के समाचार पत्र

1 टाइम्स ऑफ इंडिया फोन : (0731) 4282646
2 द हिंदू फोन : (0755) 2551162
3 हिन्दूस्तान टाइम्स फोन : (0731) 4238900
4 फ्री प्रेस फोन : (0731) 2555111
5 वर्ल्ड न्यूज़ फोन : (0731) 2475262

हिन्दी के समाचार पत्र

1 दैनिक भास्कर फोन : (0731) 2554444
2 दैनिक जागरण फोन : (0731) 3918186/(0755) 3023000
3 नई दुनिया फोन : (0731) 4711000 / (0755) 30100000
4 नव भारत टाईम्स फोन : (0731) 4002310
5 जनसत्ता फोन : 09893894536
6 पत्रिका फोन : (0731) 3022602
7 दबंग दुनिया फोन : (0731) 4080006
8 प्रभात किरण फोन : (0731) 2545500
9 चौथा संसार फोन : (0731) 3014444
10 अग्निबाण फोन : (0731) 2536124 /(0755) 2576231
11 एस आर टाईम्स फोन : (0731) 4053501
12 स्वदेश फोन : (0731) 2578100

13 अमर उजाला फोन : (0755) 3012766

समाचार एजेंसियाँ

1 प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया फोन : (0731) 2566193

2 इंडो-एशियन न्यूज सर्विस फोन : (0731) 4064064, 889211108

3 युनाईटेड न्यूज ऑफ इंडिया फोन : (044) 28211689, 28270785, 28279484

अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियाँ

1 एसोशिएटेड प्रेस फोन : (०११) 43660404 इमेल : info@ap.org
2 बीबीसी हिंदी फोन :(011) 2340-1600 ईमेल : hindi.letters@bbc.co.uk
3 एशियन न्यूज इन्टरनेशनल फोन :(011) 26189705

टेलीविजन

1 एनडीटीवी फोन : (011) 2644-6666
2 सीएनएन-आईबीएन फोनः (0120) 434-1818/398-7777
3 आजतक फोन : (0120) 480-7100
4 एबीपी न्यूज़ फोन : (0120) 407-0000/407-0196
5 जी न्यूज़ फोन : (0120) 251-1064
6 एस आर टाईम्स फोन : (0731) 4053501

5. उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक (स्पेशल रैपोटर)

संयुक्त राष्ट्र के पास पूरी दुनिया में उपयुक्त आवासीय अधिकारों पर काम करने के लिये एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त होता है। बेदखली से संबंधित सभी तथ्यो के साथ एक विस्तृत पत्र तैयार करे जिसमें ध्वस्तीकरण का समय, ध्वस्तीकरण का तरीका, प्रभावित परिवारों की संख्या, उजाड़े गये घरों की संख्या तथा किसी हिंसा और विनाश को लेकर अंग्रेजी भाषा में विस्तार से उल्लेख करते हुए विशेष प्रतिनिधि के जेनेवा स्थित कार्यालय को प्रेषित करें। वर्तमान में उपयुक्त आवास मामलो में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि ब्राजील के मि.रकील रोलनिक (मार्च 2014 तक) हैं।

उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक
(यूनएन स्पेशल रैपोटर ऑन एडीक्यूएट हाउसिंग)
फैक्स 004122-917-9006
ई-मेल :urgent-action@ohchr.org/requelrolnik@gmail com

निष्कर्ष

'' आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ई) के तहत ' आवास का अधिकार' तथा अनुच्छेद 21 के तहत ' जीने का अधिकार ' से अभिप्रेरित है। ''

उपयुक्त आवास का अधिकार एक ऐसा मानवीय अधिकार है जो अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय कानून द्वारा प्रदान किया गया है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने अनेक फैसलो में 'उपयुक्त आवास के अधिकार' को 'जीने के अधिकार' के विस्तार के रूप में स्वीकार किया है।

उत्तरप्रदेश आवास विकास परिषद बनाम फ्रैंडस कोऑपरेटिव हाउंसिग सोसायटह लिमिटेड के बीच हुए एक वाद में 1996[1] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है -

आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(ई) के तहत् 'आवास का अधिकार' तथा अनुच्छेद 21 के तहत् जीने का अधिकर से अभिप्रेरित है।

इस सबके बाजवूद मध्यप्रदेश में उपयुक्त आवास के अधिकार का बार-बार उल्लंघन होता आया है। जबरन बेदखली से मानवाधिकारों का व्यापक पैमाने पर उल्लंघन होता है, विशेषकर आवास के अधिकारों का। राज्य सरकार को जबरन बेदखली पर स्थगनादेश थोपने के बजाए शहर के गरीब लोगो ंके लिये सस्ते घर बनाने चाहिये एवं स्थलीय उपयोग की कानूनी आवधिकता सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिये। आम लोगों के व्यापक हितो तथा स्वास्थ्य के मद्देनजर असामान्य परिस्थितियों में जहॉ कही भी जबरन बेदखली कराना जरूरी हो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानको तथा दिशा-निर्देशों का पालन अत्यंत आवश्यक होना चाहिये। यह राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है कि वे सभी भारतीय निवासियों के लिये उपयुक्त आवास के मानवाधिकारों को पूरा करे तथा उनका सम्मान व संरक्षण करे।

आशा की जाती है कि यह पुस्तिका मध्यप्रदेश के ऐसे सभी लोगों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी जिन्हें उनके आवास से जबरन बेदखल कर दिया गया है, तथा वे भी जो आये दिन अपने आवास से बेदखल हो जाने के डर में जीवन जी रहे हैं और बेदखली की धमकियों का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही यह पुस्तिका अपने अधिकारों को जानने, मुआवजा / क्षतिपूर्ति प्राप्त करने, राज्य की जिम्मेदारी को जानने और न्याय प्राप्त करने की दिशा में जो भी संभव जानकारी या गतिविधियां हो सकती है, उनमें सहायक होगी।

1. (1996) एआईआर 114 1995 एससीसी